संख्या ई: 11011/27/2016–हिन्दी/भाग–1/ 1138

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

906 (द.), सेवा भवन, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली – 110 066
दिनांक: 14 नवम्बर, 2017

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, के.ज.आ.
सचिव, के.ज.आयोग
निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय, जल आयोजना एवं परियोजना, अभिकल्प एवं अनुसंधान)
सभी अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग
नई दिल्ली।

विषय: **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन** समिति की **दिनांक 27.06.2017 को आयोजित हुई 70वीं बैठक** का **कार्यवृत्त।**

संदर्भ : **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 19.09.2017** के पत्र सं. **11016/01/2017–हिंदी/1834–1908.**

महोदय/महोदया,

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की दिनांक 19.09.2017 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. जिन कार्यालयों/अनुभागों का मूल पत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है ऐसे कार्यालय के उच्चाधिकारियों को कार्यालय में पत्राचार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और अपने स्तर पर भी अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करना चाहिए ताकि अधीनस्थ अधिकारियों को इससे प्रेरणा मिले और अधिकाधिक सरकारी काम हिंदी में हो सके।
2. कार्यालय में पुस्तकों की खरीद नियमानुसार की जाए। राजभाषा नियमों के अनुसार कार्यालय की पुस्तकों के लिए आवंटित अनुदान की 50 प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।
3. कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी में तैयार की जाए।
4. अनुवाद करते समय सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि उक्त मदों पर कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, हिंदी अनुभाग को भी अवगत कराया जाए।

भवदीया,

14/11/17

(रजिन्दर पॉल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011–29583720

उप निदेशक (एसएमडी), के.ज.आ. को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

अश्विन 17.11.17 अपलोड करें।

SMD अनु./Sec./निदे. डा. सं./Dy. No. 360 दिनांक/Date 21-11-17